मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 2000 (फाल्गुन 24, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य, बिलासपुर जिले की खांपी जलाशय योजना अपूर्ण होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, मुन्ना सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, ग्वालियर स्थित बन्द जे.सी. मिल के श्रमिकों को बकाया देनदारियों का भुगतान एवं रोजगार न मिलने की ओर राज्यमंत्री श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री गनपत सिंह उइके, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का सोलहवां से तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री शिवनारायण मीना, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

4. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.

श्री अजय सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, दिनांक 24 अप्रैल, 1998 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्रमांक 2772) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 10 सन् 2000) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) संशोधन विधेयक, 2000 (क्रमांक 11 सन् 2000) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री सज्जन सिंह वर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2000 (क्रमांक 12 सन् 2000) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री भूपेश बघेल, राज्यमंत्री परिवहन, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 13 सन् 2000) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2000 (क्रमांक 9 सन् 2000) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :
दिनांक : 13 मार्च, 2000

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.